बिहार सरकार

पर्यटन विभाग

संकल्प

विषय:- **पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा–मोकामा खास, थाना सं0–30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4 (ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति के संबंध में।**

पटना जिला का मोकामा शहर गंगा नदी के किनारे तीन प्राचीन जनपदों अंग, मगध और मिथिला के संगम स्थल पर अवस्थित है और नदी के उस पार अवस्थित सिमरिया घाट पर नियमित अंतराल पर लगने वाले अर्ध कुंभ मेले का प्रवेश द्वार है। इस प्रकार यह शहर सदियों से पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहा है।

2. तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उक्त संस्था द्वारा राज्य की राजधानी के आस–पास लगभग 10 (दस) एकड़ की भूमि के निःशुल्क आवंटन का अनुरोध किया गया है ताकि उक्त भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल का निर्माण एवं प्रबंधन उनके द्वारा किया जा सके।

3. तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पथ निर्माण विभाग की मौजा–मोकामा खास, थाना सं0–30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक – 03.10.2025 को सम्पन्न बैठक में मद् संख्या– 98 के रूप में प्रदान की गयी है।

4. उक्त स्वीकृति के अनुसार स्थल के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उक्त भूमि को तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) कर 1 रुपये के टोकन शुल्क पर लीज के माध्यम से 99 वर्ष के लिए उक्त भूमि हस्तान्तरित किया जाना है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया है। निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा। निर्माण के उपरांत उक्त स्थल का प्रबंधन भी उपर्युक्त ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। उक्त भूमि पर समेकित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाओं के विकास से न केवल आस–पास के क्षेत्र का विकास होगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।

5. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका– 05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 में अंकित प्रावधान के अनुसार नये पट्टे (लीज) के समय जमीन के बाजार मूल्य के बराबर सलामी ली जाती है। इसके अलावा आवासीय प्रयोजन के लिए उस सलामी का 02 प्रतिशत वार्षिक लगान लिया जाता है

तथा व्यवसायिक प्रयोजन के लिए सलामी की राशि का 05 प्रतिशत वार्षिक लगान लिया जाता है। व्यक्ति विशेष या संस्था के साथ शहरी एवं अर्द्धशहरी भूमि को 30 वर्षों के लिए बंदोबस्त करने की शक्ति सरकार में निहित है। 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने हेतु इस कंडिका को इस हद तक शिथिल किये जाने की आवश्यकता है।

6. **वर्णित परिपेक्ष्य में पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु मौजा–मोकामा खास, थाना सं0–30 की 10.11 एकड़ (दस एकड़ ग्यारह डिस्मिल) भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–644 दिनांक– 15.06.1999 की कंडिका–05 एवं बिहार खासमहाल नीति, 2011 की कंडिका–1 एवं कंडिका–4 (ड़) में अंकित प्रावधान को शिथिल करते हुए तिरूमला तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 99 वर्ष के लिए लीज बंदोबस्त किये जाने एवं तदालोक में किये जाने वाले समझौता ज्ञापन प्रारूप (MOU) की स्वीकृति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 24.06.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–38 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०वि०(विविध)– 15/2025 1753 /प०वि०, पटना दिनांकः– 25/06/26
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– पर्य०वि०(विविध)– 15/2025 1753 /प०वि०, पटना दिनांकः– 25/06/26
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/तिरूमला, तिरूपति देवस्थानम्, तिरूपति, आंध्र प्रदेश/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।